संख्या– 12 / I(2)/2021–06(2)–02/2015 T.C.-1

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उपाकालि, देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
पिटकुल, देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0, देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषयः– ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या 1199/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11/XXVI(7)30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लागू की गयी थी। इसी अनुक्रम में शासनादेश संख्या–1585/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ भी प्रदान किया गया था।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि के पत्र संख्या–1052/प्र0निदे0/उपाकालि/सातवां वेतन आयोग (एफ–2) दिनांक 10.02.2017, पत्र संख्या– 811/प्र0निदे0/उपाकालि/एफ–2 दिनांक 23.01.2019, प्रबंध निदेशक, पिटकुल के पत्र संख्या–203/मा0स0/प्र0नि0/अनु/पिटकुल/पी–3, दिनांक 16.02.2017, पत्र संख्या–1096/मा0स0एवंप्र0नि0/पिटकुल/पी–3, दिनांक 31.07.2019 तथा प्रबंध निदेशक, यूजेवीएनएल के पत्र संख्या–41/यूजेवीएनलि/प्र0नि0 दिनांक 14.02.2017, पत्र सख्यां–5412/यूजेवीएनएल/प्रा0नि0/शासन–6(डी), दिनांक 13.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तीनों निगमों के निदेशक मण्डल से पारित वेतन बैण्ड एवं वेतन लेवल/पे–मेट्रिक्स अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01.01.2016 से वर्तमान समय में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे–मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध कराया गया है कि भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।

3– अतः उपरोक्तानुसार तीनों निगमों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीनों निगमों में शासनादेश संख्या–1199 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश संख्या–1585 दिनांक 22.12.2017 को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01.01.2016 से वर्तमान समय में

–2

Scanned with CamScanner

कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे–मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने की एतद् द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. निगमों के कार्मिकों को उक्त व्यवस्था अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्ययभार निगमों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और निगमों द्वारा मित्तव्ययता सुनिश्चित करते हुए संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।
2. निगमों में भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।
3. निंगमों द्वारा राज्य सरकार के प्रति वार्षिक देयता एवं इस आधार पर वर्तमान तक देय अवशेष भी शासन को दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. साथ ही शासनादेश संख्या–1585/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में किये गये वेतन निर्धारण से लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिकों से कोई प्रत्याप्ति (Recovery) नहीं की जायेगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– / I(2)/2021–06(2)–02/2015 T.C.-1,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner